डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन	मुकाम	चौहटन
व इजलास	***श्री सूरजमान विश्नोई, आर.ए.एस.***		

अनवान

वादीगण – 1.राजूराम पुत्र लाधूराम (माता तुलसीदेवी पुत्री भागचन्द)
जाति विश्नोई, निवासी नेड़ीनाडी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.भागचन्द पुत्र रूगा के का.मु. :– 1/1.हेमाराम 1/2.भूराराम
1/3.तुलसाराम पि.भागचन्द, जाति विश्नोई, निवासी छछीबेरी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
2.रामरख पुत्र लाधुराम (माता तुलसीदेवी पुत्री भागचन्द)
जाति विश्नोई, निवासी नेड़ीनाडी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे भूणिया 4.तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री मोहनलाल खिलेरी**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री फताराम गोदारा (प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2)**

वाद बाबत 88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 103/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री मोहनलाल खिलेरी** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री फताराम गोदारा** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ के **मौजा कायम का तला (भूणिया) के खसरा सं. 633 रकबा 69.10 बीघा एवं मौजा छछीबेरी (भूणिया) के खसरा सं. 735 रकबा 00.18 बीघा, खसरा सं. 736 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 737 रकबा 118.10 बीघा में वादी को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .. .. बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06.09.2024 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर चौहटन सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत.........................

ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया		मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत महन्ताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशन बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 103/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण – 1.राजूराम पुत्र लाधूराम (माता तुलसीदेवी पुत्री भागचन्द) जाति विश्नोई, निवासी नेड़ीनाडी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.भागचन्द पुत्र रूगा के का.मु. :– 1/1.हेमाराम 1/2.भूराराम 1/3.तुलसाराम पि.भागचन्द, जाति विश्नोई, निवासी छछीबेरी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
2.रामरख पुत्र लाधुराम (माता तुलसीदेवी पुत्री भागचन्द) जाति विश्नोई, निवासी नेड़ीनाडी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे भूणिया 4.तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री मोहनलाल खिलेरी**

प्रतिवादीगण वकील – **श्री फताराम गोदारा (प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2)**

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,188, RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 06.09.2024

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 पूर्व पुरूष भागचन्द के वारिसान है। मौजा कायम का तला (वक्त सेटलमेन्ट मौजा भूणिया) पटवार क्षेत्र भूणिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 633 रकब 69.10 बीघा एवं मौजा छछीबेरी (वक्त सेटलमेन्ट मौजा भूणिया) पटवार क्षेत्र भूणिया तहसील सेड़वा में खसरा सं. 735 रकबा 00.18 बीघा, खसरा सं. 736 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 737 रकबा 118.10 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 के पूर्व पुरूष स्व.भागचन्द पुत्र रूगा के नाम से वक्त सेटलमेन्ट समय खातेदारी में दर्ज हुए थे, जिसका पर्चा लगान वक्त सेटलमेन्ट के समय भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा स्व.भागचन्द के नाम से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वादग्रस्त आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सहदायिक सम्पति है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 स्व.भागचन्द की पुत्री तुलसीदेवी के पुत्र है। तुलसीदेवी की मृत्यू 21.12.2012 को हो गई, वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 स्व.तुलसीदेवी के वारिशान है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी जो पुश्तैनी है, में वादी अपना 1/8 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का

1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के का.मु. का 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा खातेदारी में बनता है। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज है तथा वर्तमान में आपस में बाहमी तौर पर बंटवाड़ा भी किया हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष भागचन्द के नाम दर्ज होने से व मौके पर बाहमी तौर से किये बंटवाड़ा का कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को भारी कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना 1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाना चाहते है, बाद घोषणा अपना हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा कर पृथक करवाना चाहते है, इस हेतु वाद पेश इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी वकील को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया , अतः जवाब का अवसर बन्द किया गया। वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 वादी राजूराम का शपथ पत्र पेश किया। जिसके समर्थन में प्रदर्श–1 मिसल बन्दोबस्त, प्रदर्श–2 जमाबन्दी मौजा कायम का तला के खसरा सं. 633, प्रदर्श–3 नक्शा मौजा कायम का तला के खसरा सं. 633, प्रदर्श–4 जमाबन्दी मौजा छछीबेरी के खसरा सं. 735, 736, 737, प्रदर्श–5 नक्शा मौजा छछीबेरी के खसरा सं. 735, 736, 737 न्यायालय में Exhibit करवाये।

पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर तलब हुई। प्रतिवादी वकील उपस्थित हुए , लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु सहमति नहीं दी और अपनी आपति दर्ज करवाई, अतः प्रतिवादी जिरह एवं साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 53 रा.का.अ. का अनुतोष विड्रो करने का निवेदन किया। जिसे स्वीकार किया जाकर वाद में धारा 53 रा.का.अ. का अनुतोष विड्रो किया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस [illegible] गई, बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। [illegible] के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा कायम का तला (वक्त सेटलमेन्ट मौजा भूणिया) पटवार क्षेत्र भूणिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 633 रकब 69.10 बीघा एवं मौजा छछीबेरी (वक्त सेटलमेन्ट मौजा भूणिया) पटवार क्षेत्र भूणिया तहसील सेड़वा में खसरा सं. 735 रकबा 00.18 बीघा, खसरा सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

736 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 737 रकबा 118.10 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 के पूर्व पुरूष स्व.भागचन्द पुत्र रूगा के नाम से वक्त सेटलमेन्ट समय खातेदारी में दर्ज हुए थी। उक्त वादग्रस्त आराजी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सहदायिक सम्पति है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 स्व.भागचन्द की पुत्री तुलसीदेवी के पुत्र है। तुलसीदेवी की मृत्यू 21.12.2012 को हो गई, वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 स्व.तुलसीदेवी के वारिशान है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी जो पुश्तैनी है, में वादी अपना 1/8 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। न्यायालय के मतानुसार वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है ।

अतः न्यायहित मे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी तहसील धनाऊ के पटवार क्षेत्र भूणिया के मौजा कायम का तला के खसरा सं. 633 रकबा 69.10 बीघा एवं मौजा छछीबेरी के खसरा सं. 735 रकबा 00.18 बीघा, खसरा सं. 736 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 737 रकबा 118.10 बीघा में वादी को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested